राज्य औद्योगिक न्यायालय

- विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के दौरान औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों के द्वारा यदि नियोजकों के द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में इनके द्वारा श्रम न्यायालयों में आपराधिक प्रकरण नियोजकों के विरूद्ध दायर किया जाता है। साथ ही न्यूनतम वेतन का भुगतान यह वेतन का विलंभ भुगतान अथवा बोनस भुगतान ऐसे विभिन्न प्रकार के भुगतान संबंधी सिविल प्रकरण भी न्यायालय में दायर किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरूद्ध औद्योगिक न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं होने की स्थिति में अपील किया जा सकता है, चाहे वो नियोजक या श्रमिक, तो इस तरह से औद्योगिक श्रम न्यायालय द्वारा श्रम विभाग के द्वारा तैयार की गई प्रकरणों पर सुनवाई की जाती है। औद्योगिक न्यायालय द्वारा श्रम न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्राप्त अपीन प्रकरणों पर निर्णय की कारवाही की जाती है।

- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत आपराधिक एवं श्रमिकों के वेतन दावों के प्रकरणों सहित श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं विवादों के निवारण हेतु राज्य में औद्योगिक न्यायालय एवं श्रम न्यायालय की स्थापना की गयी है।

- यह एक न्यायिक संगठन है, इस संगठन द्वारा श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य उत्पन्न विवादों का निराकरण श्रम विधि के प्रावधान अनुसार किया जाता है। औद्योगिक न्यायालय का गठन औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 तथा श्रम न्यायालय का गठन धारा 8 के अंतर्गत किया गया है। औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–7(ए) के अंतर्गत किया गया है। धारा–7(ए) के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद चाहे वह संविधान की अनुसूची–2 का विषय हो अथवा अनुसूची–3 का हो राज्य शासन द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सौंपा जा सकता है।

- छत्तीसगढ़ राज्य में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण/औद्योगिक न्यायालय का गठन दिनांक 01.08.2002 से किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं एक या एक से अधिक सदस्य न्यायाधी ा का प्रावधान रखा गया है। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थापित किया गया है। वर्तमान में औद्योगिक न्यायालय का खण्डपीठ बिलासपुर में स्थापित किया गया है, जो 01 जनवरी 2007 से कार्य कर रहा है।